



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2025]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025
(27 फाल्गुन, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०आ० 15/के०अ०53/1972/धा० 36ग/2025- दिनांक 13 मार्च, 2025- देवभूमि कालवन प्रवासी पक्षी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने बारे।	1437—1440
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 मार्च, 2025

संख्या का०आ० 15/के०अ०53/1972/धा० 36ग/2025.— वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 36ग की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को प्राणी, वनस्पति और परंपरागत अथवा सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की सुरक्षा के प्रयोजन के लिए सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र अर्थात् 'देवभूमि कालवन प्रवासी पक्षी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र' के रूप में घोषित करते हैं :-

विशिष्टियां

देवभूमि कालवन प्रवासी पक्षी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

जिला	तहसील	क्षेत्र का नाम	गांव तथा हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में	आयत संख्या	सीमा
जींद	नरवाना	ग्राम पंचायत की भूमि गांव कालवन	कालवन	27 एकड़ 2 कनाल 11 मरला	114, 115, 131, 132 व 144	पूर्व: श्री बलजीत पुत्र श्री बारू, श्री मंगल पुत्र श्री बारू, श्री नन्हा पुत्र श्री देवा और श्री बिट्टू पुत्र श्री राजेश आदि की कृषि भूमि।
			मुरब्बा नं० 114 किला नं० 06 (05-18) 15 (08-00) 16 (08-00) 17 (02-18) 24 (05-10) 25 (08-00) मुरब्बा नं० 115 किला नं० 11/2 (04-09) 20 (08-00) 21 (08-00) मुरब्बा नं० 131 किला नं० 01 (08-00) 02 (08-00) 09 (08-00) 10 (08-00) 11 (08-00) 12 (08-00) मुरब्बा नं० 132 किला नं० 04 (08-02) 05 (08-00) 06 (08-00) 07 (08-00)			उत्तर: टोहाना माईनर पश्चिम: कृषि भूमि, टोहाना-नरवाना लिंक रोड। दक्षिण: पंचायत भूमि, तालाब और आवासीय भूमि।

			08 (02-12)			
			13 (05-02)			
			14 (08-00)			
			15 (08-00)			
			16 (08-00)			
			17 (08-00)			
			22/2/1			
			(02-04)			
			23 (08-00)			
			24 (08-00)			
			25 (08-00)			
			मुरब्बा नं० 144			
			किला नं०			
			04 (06-18)			
			05 (06-18)			

आनंद मोहन शरण,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 13th March, 2025

No. S.O. 15/C.A.53/1972/S.36C/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 36C of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972), the Governor of Haryana hereby declares the area specified below as Community Reserve namely **Devbhumi Kalwan Migratory Birds Community Reserve** for the purpose of protecting fauna, flora and traditional or cultural conservation values and practices:-

SPECIFICATIONS

Devbhumi Kalwan Migratory Birds Community Reserve

District	Tehsil	Name of Area	Village and Hadbast Number	Area in Acres	Rectangle Number	Boundary
Jind	Narwana	Gram Panchayat land, Village Kalwan	Kalwan	27 Acres 2 Kanal 11 Marla	114, 115, 131, 132 and 144	East: Agricultural Land of Sh. Baljit S/o Sh. Baaru, Sh. Mangal S/o Sh. Baaru, Sh. Nanha S/o Sh. Deva and Sh. Bittu S/o Sh. Rajesh etc.
			Murabba No. 114 Killa No. 06(05-18) 15(08-00) 16 (08-00) 17 (02-18) 24(05-10) 25 (08-00) Murabba No. 115 Killa No. 11/2 (04-09) 20(08-00) 21 (08-00) Murabba No. 131 Kila No. 01 (08-00) 02 (08-00) 09 (08-00) 10 (08-00) 11 (08-00) 12 (08-00) Murabba No. 132 Kila No. 04(08-02) 05 (08-00) 06 (08-00) 07 (08-00) 08 (02-12) 13(05-02) 14 (08-00) 15 (08-00)			North: Tohana Minor West: Agricultural Lands, Tohana-Narwana link road. South: Panchayat Land/ Pond and Residential Land

			16 (08-00) 17 (08-00). 22/2/1 (02-04) 23 (08-00) 24 (08-00) 25 (08-00) Murabba No. 144: Kila No. 04 (06-18) 05 (06-18)			
--	--	--	---	--	--	--

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.